फर्द अहकाम

फुदटन लाल बनाम रामेश्वर व अन्य

360/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04.12.2024	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी धारा अन्तर्गत 111 व 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वय का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियाँ पेश की है। वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 27.12.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 8359-65 6/12/24
27/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। [illegible] रजिस्टर्ड नोटिस [illegible] पेश हो। दिनांक 17/1/25 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
17/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 [illegible] अन्य राज्य कार्य में व्यस्त [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/1/25 को पेश हो।	
24/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी [illegible] बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस अन्तर्गत 111, 128 हेतु दिनांक 29/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
29/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय की पालना की जावे। पत्रावली नियम से [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नामः हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्याः 360/2024
निर्णय दिनांकः 29.01.2025

1. छुट्टन लाल पुत्र सीताराम, जाति मीना, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. जयनारायण पुत्र श्योराम, जाति मीना, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. तीजा देवी पत्नी बिरदीचन्द, जाति मीना, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. मुकेश कुमार पुत्र सीताराम, जाति मीना, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. मीरा देवी पत्नी सीताराम, जाति मीना, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. रजनी पुत्री सीताराम, जाति मीना, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. राजपाल पुत्र सीताराम, जाति मीना, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. लालाराम पुत्र बिरदीचन्द, जाति मीना, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. हनुमान पुत्र बिरदीचन्द, जाति मीना, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र मांगीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. रामस्वरूप पुत्र मांगीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. गोपाल लाल शर्मा पुत्र रामनारायण शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. काना पुत्र चूना, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. कन्हैयालाल शर्मा पुत्र सूजीलाल उर्फ सूज्या, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव, कार्यालय रामकिशोर व्यास भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

7. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम लूनियावास, पटवार हल्का लूनियावास, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 56 के खसरा नम्बर 332 रकवा 0.3900 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। इसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी 2073–2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी में अंकित है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी कृषि भूमि का तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांक भू.अ./सीमा/24/9258 के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 14.11.2024 को करवाया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 332 के उत्तरी दिशा में खसरा नम्बर 335, 336, 369/1 स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 है, खसरा नम्बर 332 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 370/778, 371, 329 स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 4 व 5 है एवं खसरा नम्बर 332 के दक्षिण व पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 331, 330/774, 333, 334 स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण स्वयं व अप्रार्थी संख्या 6 है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 आये दिन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखल अन्दाजी करते रहते है और जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है जिस कारण प्रार्थीगण अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है और उक्त भूमि पर तारबन्दी करना चाहते है जिससे भविष्य में कोई पडौसी खातेदार काश्तकार किसी भी प्रकार का वाद–विवाद नही करे, इसलिए प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हो गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि हाल खाता संख्या 56 के खसरा नम्बर 332 रकबा 0.3900 हैक्टेयर ग्राम लूनियावास, पटवार हल्का लूनियावास, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14.11.2024 के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी किये जाने के आज्ञा प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी कर तलब किया गया। दिनांक 24.01.2025 को अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड ए. डी. नोटिस तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अन्तर्गत तथ्यों को दोहराते हुये वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 332 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण का अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखना उनका विधिक अधिकार है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है जिसका उनको पूर्ण अधिकार है, प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है और उसी सीमाज्ञान की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाना चाहा है जो विधि अनुकूल एवं न्यायोचित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 0.3900 हैक्टेयर ग्राम लूनियावास, पटवार हल्का लूनियावास, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की फर्द मौका सीमाज्ञान–रिपोर्ट आदेश दिनांक 14.11.2024 के अनुसार के अनुसार स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर